



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1936 (श०)

(सं० पटना ६६८) पटना, बुधवार, १३ अगस्त २०१४

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

1 अगस्त 2014

सं० वि०स०वि०-13/2014-2410/वि०स०।—“बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग विधेयक, 2014”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 01 अगस्त, 2014 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव, बिहार विधान-सभा।

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग विधेयक, 2014

[विंसठविं-11/2014]

प्रस्तावना I- राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह ख' एवं 'ग' के तकनीकी पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय—I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—** (1) यह अधिनियम बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **परिमाणाएँ।—** इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो —

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है — बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 ;

(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग ;

(iii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है — बिहार राज्य सरकार ;

(iv) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची।

अध्याय-II

3. **आयोग का गठन।—** बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जाएगा :—

(i) **अध्यक्ष** :— राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान से अन्यून पंक्ति का कोई पदाधिकारी जिसकी न्यूनतम तीन वर्ष सेवा शेष हो :

परन्तु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पात्रता वाले सेवा-निवृत्त पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) **सदस्य** :—राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के पाँच अधिकारी जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा शेष हो :

परन्तु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पात्रता वाले सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ;

इन पाँच सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य का चयन क्रमशः बिहार अभियंत्रण सेवाओं, बिहार स्वास्थ्य सेवाओं से तथा बिहार प्रशासनिक सेवा से किया जाएगा। शेष दो अन्य सदस्यों का चयन उक्त तीनों सेवाओं में से किसी भी सेवा से किया जा सकेगा :

परन्तु अभियंत्रण सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के वैसे पदाधिकारी का ही सदस्य के रूप में चयन किया जा सकेगा जो राज्य सरकार के अधीन कम से कम रु 8700/- (आठ हजार सात सौ) ग्रेड पे का अधिष्ठायी आधार पर पद धारण करते हों अथवा पहले ही पद धारित कर चुके हों।

4. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल।—** आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सामान्य तौर पर तीन वर्षों का होगा ;

परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में, किसी सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिष्टित किया जाय, किया जा सकेगा :

परन्तु और यदि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का आयोग में बने रहना लोक हित के विरुद्ध है अथवा उनके बने रहने से आयोग का सुविधाजनक कार्य-संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा अध्यक्ष या / और वैसे किसी अन्य सदस्य/सभी सदस्यों को तीन वर्षों का सामान्य कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा।

5. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र सीमा।—** आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की आयु-सीमा नियुक्ति के समय सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के मामले में अधिकतम 62 (बासठ) वर्ष होगी।

6. **आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग।—** आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा।

7. **अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी।—** आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदबल एवं उनकी सेवा-षर्तें, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप होंगी।

अध्याय—III

8. सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा।— आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित, ₹0 4800/- (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा-पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग' के सभी तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूची को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

9. चयन की प्रक्रिया।— (1) आयोग, तकनीकी पदों हेतु संबंधित पदों की सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा;

परन्तु किसी तकनीकी पद हेतु सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी चयन-नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा।

(2) आयोग सदृश अहर्ता वाले पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा।

10. समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी पदों से संबंधित लंबित चयन कार्यों का अंतरण।— इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ण की जायेगी :

परन्तु, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ववत् बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

अध्याय—IV

11. वित्तीय प्रावधान।—(1) आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आयोग उम्मीदवारों से, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित परीक्षा-शुल्क प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा, राज्य कोषागार में उपयुक्त प्रादित-शीर्ष में जमा किया जाएगा।

12. लेखा एवं लेखा परीक्षण।—(1) आयोग का वित्तीय वर्ष किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रील से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के इकतीस मार्च को समाप्त होगा।

(2) आयोग द्वारा अपने जमा-व्यय का सम्यक् अभिलेखीकरण किया जाएगा और आयोग के लेखा के सम्यक् संधारण का विशिष्ट उत्तरदायित्व आयोग के सचिव का होगा।

(3) आयोग के लेखा का सांविधिक लेखा परीक्षण भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

अध्याय—V

13. शक्तियों का प्रत्यायोजन।—(1) प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी।

(2) आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक का कर्तव्य एवं दायित्व तथा अन्य सदस्यों में से किसी एक अन्य सदस्य को आयोग के प्रशासनिक शाखा का कर्तव्य एवं दायित्व सौंप सकेंगे।

14. नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्तियाँ।—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्ति होगी।

(2) आयोग राज्य सरकार के अनुमोदन से, कार्य-प्रक्रिया संचालन नियमावली, विज्ञापनों के प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं के संचालन, परीक्षाफलों के प्रकाशन, व्यक्तित्व जाँच/मौखिक परीक्षाओं, अन्य चयन प्रक्रिया, यदि कोई हो तो, आदि के संचालन एवं अन्य कार्यान्वयन हेतु विनियमावली बना सकेगा।

15. नियमावली/विनियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना।— प्रत्येक नियमावली/विनियमावली बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र बिहार विधान मंडल के समक्ष आगामी सत्र अथवा अनुवर्ती सत्रों में, जो न्यूनतम कुल चौदह दिनों के लिए हो, रखी जायेगी।

16. कठिनाईयों का निराकरण एवं निर्वचन।—(1) इस अधिनियम के आरंभ के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के यथोचित कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो अधिनियम के प्रावधानों से संगत हो।

(2) इस अधिनियम के आरंभ के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो उसका निराकरण राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विधि विभाग के परामर्श से कर सकेगी।

(3) इस अधिनियम के हिंदी एवं अङ्ग्रेजी पाठ में कोई अन्तर प्रकट हो तो हिंदी पाठ का अभिभावी प्रभाव होगा।

17. **अवशिष्ट मामले।**—इस अधिनियम से संबंधित सभी/कोई भी अवशिष्ट मामला राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जाएगा।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**—(1) इस अधिनियम की धारा-10 के अधीन आयोग को अंतरित मामलों तथा इस अधिनियम द्वारा आयोग को सौंपे गए तकनीकी पदों हेतु चयन संबंधी मामलों की सीमा तक, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्रावधान इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गयी चयन की कोई भी कार्रवाई वैध मानी जायेगी मानों उक्त कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गयी हो।

वित्तीय संलेख

चूंकि, समूह “ग” के सामान्य/तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं और उनमें सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्य-भार एवं दायित्व में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। फलतः समूह “ग” के तकनीकी सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन के कार्य-भार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को मुक्त कर इस हेतु एक अलग आयोग का गठन किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रस्ताव है कि सरकारी विभागों/विभागाध्यक्षों/संलग्न कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिलाधिकारियों/अन्य नियुक्ति/अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा समूह “ख” एवं “ग” के तकनीकी सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इस अतिरिक्त कार्य-भार से मुक्त करने के प्रयोजनार्थ बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग गठन किया जाए। इस आयोग का गठन अधिनियम द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित आयोग के कार्यकलापों, वेतन एवं भत्तों, वाहन/ईधन, विज्ञापन, कार्यालय व्यय आदि मद में वार्षिक ₹० 3,20,33,840.00 (तीन करोड़, बीस लाख, तीन सौ चालीस) मात्र की राशि के व्यय होने का अनुमान है। इस व्यय का उपबंध सामान्य प्रशासन विभाग के बजट में किया जाएगा। प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(जीतन राम माँझी)
भार-साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

चूंकि, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सम्प्रति राज्य सरकार के अधीनस्थ वर्ग—“ग” के सभी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं जिससे आयोग पर अत्यधिक कार्यबोझ हो गया है, उक्त परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में भी अप्रत्याशित रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, परिणामस्वरूप तकनीकी एवं गैर-तकनीकी सेवाओं में समूह “ख” एवं “ग” के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन-प्रक्रिया पूरी करने में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को कठिनाई हो रही है। फलतः कर्णाकित तकनीकी सेवाओं में नियुक्ति हेतु चयन करने के लिए एक पृथक आयोग बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का गठन आवश्यक एवं समीक्षीय है। यही इसका उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(जीतन राम माँझी)
भार-साधक सदस्य।

अनुसूची

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित पदों की सूची:-

क्रम संख्या	पद का नाम	ग्रेड पे
1	पशुधन पर्यवेक्षक	2400
2	पशुधन सहायक	1900
3	चालक	1900
4	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / मत्स्य निरीक्षक	4200
5	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	2800
6	डेयरी फिल्ड ऑफिसर	4200
7	डेयरी टेक्नीकल ऑफिसर	4200
8	ब्लू प्रिंटर	1800
9	ट्रेसर	2000
10	कनीय अभियंता (सिविल / मेकानिकल)	4200
11	इस्टीमेटर	4200
12	इलैक्ट्रीशियन	1900
13	आर्किटेक्चरल ड्रॉफ्ट्समैन	4200
14	योजना पदाधिकारी	4200
15	अधीक्षण अभियंता के निजी सहायक (सिविल / मेकानिकल)	4200
16	कॉरपेंटर	1900
17	फीटर ग्रेड- II	1900
18	लैब असिस्टेन्ट	2000
19	रिसर्च असिस्टेन्ट	4200
20	असिस्टेन्ट डायरेक्टर रिसर्च	4600
21	कम्प्युटर प्रोग्रामर	4200
22	केमिस्ट / चार्जमैन केमिस्ट	4200
23	बायोलॉजिस्ट	4200
24	साइंटिफिक असिस्टेन्ट	4200
25	सुपरिटेण्डेण्ट / डिपुटी सुपरिटेण्डेण्ट, वाटर वर्क्स	4200
26	हेड असिस्टेन्ट	4200
27	ड्रीलर / असिस्टेन्ट ड्रीलर	4200
28	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड- I	4200
29	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड- II / हेड ड्राफ्ट्समैन / असिस्टेन्ट ड्राफ्ट्समैन	2400
30	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट	2400
31	Sample Taker	1900
32	एक्जिलिरी नर्स मिडवाईफ	2400
33	लेडी हेल्थ विजिटर (मैट्रिक)	2800
34	लेडी हेल्थ विजिटर (नन् मैट्रिक)	2400
35	स्टॉफ नर्स ग्रेड- "B"	2800
36	स्टॉफ नर्स ग्रेड- "A"	4600
37	फिजिओ थेरेपिस्ट, नन डिप्लोमा होल्डर	2800
38	फिजिओ थेरेपिस्ट, डिप्लोमा होल्डर	4200

क्रम संख्या	पद का नाम	ग्रेड पे
39	ऑकियूपेशनल थेरेपिस्ट	4200
40	लैक्चरर / सीनियर ऑकियूपेशनल थेरेपिस्ट	4600
41	एक्स-रे टेक्नीशियन	2800
42	ऑपरेशन थियेटर असिस्टेन्ट	2400
43	सेनिटरी इन्सपेक्टर	2400
44	फुड इन्सपेक्टर	2400
45	डाईटिशियन(मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल)	4200
46	पेथोलॉजिस्ट	4200
47	स्टेटिस्टिशियन कम लैक्चरर पी.एस.एम. डिपार्टमेन्ट	4200
48	स्टेटिस्टिशियन / स्टेटिस्टिकल ऑफिसर	4200
49	सीनियर लाइब्रेरियन	4200
50	फार्मास्यूटिकल केमिस्ट / केमिस्ट	4200
51	व्हलीनिकल फिजियोलोजिस्ट (नन् मेडिकल)	4200
52	बायो फिजिसिस्ट (नन् मेडिकल)	4200
53	क्युरेटर (नन् मेडिकल)	4200
54	योगा टीचर	2800
55	साइटो टेक्नीशियन	1900
56	मैकेनिक (फार्मसी इन्स्टीच्यूट, पटना)	2400
57	आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर इनक्लूडिंग सीनियर आर्ट फोटोग्राफर	4200
58	ड्राईवर कम प्रोजेक्शनिस्ट / प्रोजेक्शनिस्ट	2400
59	फोटोग्राफर (प्रोसेस कैमरामैन)	2400
60	स्टेनो टाइपिस्ट	2400
61	मोटर मैकेनिक	2400
62	लेबोरेट्री टेक्नीशियन	2000
63	असिस्टेन्ट एन्टी मलेरिया ऑफिसर	4200
64	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट (टेक्निकल असिस्टेन्ट / लैब टेक्नीशियन)	2000
65	असिस्टेन्ट फाइलेरिया कन्ट्रॉल ऑफिसर / असिस्टेन्ट इन्टोमोलोजिस्ट	4200
66	लेबोरेट्री टेक्नीशियन	2800
67	टी.बी. असिस्टेन्ट	2000
68	बी.सी.जी.टेक्नीशियन / बी.सी.जी. टीम लीडर	2400
69	बी.सी.जी. टीम लीडर (ट्रेन्ड)	4200
70	लेबोरेट्री टेक्नीशियन (i)	2000
71	लेबोरेट्री टेक्नीशियन (ii)	2800
72	चीफ लेबोरेट्री टेक्नीशियन	2400
73	स्यूजिक टीचर	1800
74	इलेक्ट्रीशियन कम मैकेनिक	1900
75	डेन्टल इलेक्ट्रीक टेक्नीशियन	2400
76	जूनियर मैकेनिक	1900
77	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट (सी.के.एम. कॉलेज)	1900
78	आर्टिस्ट	2000
79	बैसिक हेल्थ वर्कर	1900

क्रम संख्या	पद का नाम	ग्रेड पे
80	एक्स-रे मैकानिक	1900
81	कम्प्याउण्डर	1900
82	मोबाइल फोरमैन	2400
83	फिजिकल इन्स्ट्रक्टर	2400
84	सीनियर मैकानिक	2400
85	सेनिटरी इन्सपेक्टर	2400
86	हेड लेबोरेट्री असिस्टेन्ट	2400
87	एक्स-रे टेक्नीशियन	2800
88	डेन्टल टेक्नीशियन	2400
89	एक्जिलरी हेल्थ वर्कर	2400
90	डेन्टल हाईजिनिस्ट	2400
91	फार्मासिस्ट	2800
92	लेबोरेट्री टेक्नीशियन (डेन्टल)	2800
93	डीप एक्सरे टेक्नीशियन	2800
94	वर्कशॉप फोरमैन	2800
95	रिस्पेशनिस्ट (एन.एम.कॉलेज)	2400
96	सीनियर एक्सरे टेक्नीशियन	4200
97	हेड फार्मासिस्ट	4200
98	ऑपथैलमिक असिस्टेन्ट	2800
99	सीनियर रेडियोग्राफरस्	4200
100	लाउण्डरी मैकानिक इंजिन ड्राइवर	1900
101	इलेक्ट्रीशियन-कम-ड्राइवर	1900
102	इ.सी.जी.टेक्नीशियन	4200
103	टेक्नीशियन ब्लड बैक (सदर हॉस्पीटल, बेगूसराय)	2400
104	साइकोलोजिस्ट-कम-सोशल वर्कर	4200
105	आर्टिस्ट कम मॉडलर (एन.एम.सी.एच.)	1900
106	स्टेटिस्टिकल असिस्टेन्ट (प्रोविजिनल)	4200
107	स्कील्ड आर्टिजन (रेन्च)	2400
108	सीनियर इन्स्ट्रक्टर (इलेक्ट्रीकल)	2800
109	कैथ लैब टेक्नीशियन	4200

नोट:-राज्य सरकार द्वारा नये पद अनुसूची में समिलित हो सकेंगे एवं पद अनुसूची से हटाये भी जा सकेंगे।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 668-571+10-३०१०३०१।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>